IJAER/ May- June -2022/Volume-11/Issue-3 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

# मनरेगा योजना में जनजातीय महिलाओं की भूमिका (डूंगरपुर जिले के विशेष संदर्भ में)

**प्रवीण चन्द्र भोजात**

शोधार्थी

भूगोल विभाग

गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (राज.)

**सांराश** – भारत एक कृषि प्रधान एवं ग्राम्य बाहुल्य राष्ट्र है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.06 करोड़ है जिसमें से 83.35 करोड़ जनसंख्या गांवो में निवास करती है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 134 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि है और भारत की कृषि मानसून पर निर्भर है। जो अनिश्चित है जिसके कारण अल्प वर्षा व अति वर्षा की स्थिति बनी रहती है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का कोई अन्य साधन उपलब्ध न होने के कारण बेराजगारी व्यापक रूप से विद्यमान है।

हमारे देश में बेरोजगारी व जनसंख्या वृद्धि जैसी ज्वलंत समस्या भयावह रूप ले चुकी है तथा जिस अनुपात में जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में कृषि एवं कृषि पर आधारित कार्यो का अभाव है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को रोजगार उपलब्ध करा पाना संभव नही है। अतः रोजगार उपलब्ध न होने के कारण ग्रामवासी शहरों की ओर पलायन करने लगे है। गांव से शहरों की ओर पलायन पर रोक लगाने व निवास स्थल पर रोजगार उपलब्ध कराने, ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर पर सुधार हेतू व महिला श्रमिकों में सशक्तिकरण लाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 5 सितम्बर 2005 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम पारित किया गया। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को 150 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। यह पहली ऐसी योजना है जिसमें गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। अप्रेल 2008 से यह कानून भारत के सभी गांवों में लागू है।

**परिचय**–जनजाति बहुत डूंगरपुर जिला $23^0 20^0$ से $24^0 01^0$ उत्तरी अक्षांश एवं $73^0 21^0$ से $74^0 23^0$ पूर्वी देशान्तरों के मध्य स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 1388906 है।

जिसमें से 9,83,437 जनसंख्या जनजातियों की है जो कुल जनसंख्या का 74.40 प्रतिशत है। जिले में जनजाति महिलाओं की जनसंख्या 4,91,806 है।

जनजाति महिलाएं सदियों से गरीबी, अज्ञानता, अंधविश्वास एवं घुटनभरी परम्पराओं तथा रीति–रिवाजों के वातावरण में मजबुरी भरा जीवन जीती आई है। सामाजिक बंधनों, आर्थिक विपिन्नता, शोषण तथा उत्पीड़न भरी उपेक्षा के बावजुद महिलाएं त्याग की अप्रतिम मूर्ति रही है और बाल बच्चों, घर–परिवार, समस्त समाज समुदाय के हित, कल्याण के लिए चुपचाप बलिदान देती रही है जबकि जीवन के हर क्षेत्र में महिलायें पुरुषों के मुकाबले ज्यादा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह करती है। कृषि, पशुपालन और गांव के दुसरे काम धन्धों में महिलाओं का योगदान पुरूषों से कहीं ज्यादा है लेकिन सामाजिक पूर्वाग्रहों, निरक्षरता एवं अंधविश्वासों की वजह से लगातार उपेक्षा की जाती रही है। परन्तु अन्य समुदायों की अपेक्षा जनजाति समुदाय में महिलाओं को अधिक सम्मान एवं अधिकार प्राप्त है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम विश्व का सबसे वृहद मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। डेढ़ दशक से हमारे देश में चल रहे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग को लक्षित किया गया है जिसमें महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रमुख रूप से शामिल है। महात्मा गांधी नरेगा में जरूरतमंद व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ राज्य में स्थाई एवं जनपयोगी परिसम्पतियों का सृजन हो रहा है। यह योजना स्थाई आजीविका का साधन भी बन रही है। नरेगा के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग को रोजगार का सुनिश्चित अवसर मिलने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा मिली है। जनजातियों को महात्मा गांधी नरेगा ने आय का सशक्त वैकल्पिक स्त्रोत भी उपलब्ध करवाया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम ग्रामीण परिवारों के जीवन से जुड़ा है और उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए कृत संकल्प है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के उन अकुशल मजदूरों के लिए प्रतिवर्ष 150 दिन की मजदूरी की गारंटी देना है जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की रोजी–रोटी चलाते है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने व ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 को आंन्ध्र प्रदेश के अन्नतपुर जिले के बांदापल्ली ग्राम से लागु किया गया। इसके पश्चात प्रथम चरण में इस योजना को देश के अत्यंत पिछड़े हुए 200 ग्रामीण जिलों में लागु किया गया और वित्त

वर्ष 2007–08 में 130 जिले इसमें और शामिल किय गये। तत्पश्चात 1 अप्रैल 2008 को तृतीय चरण में भारत के शेष जिलों में लागु किया गया। 2 अक्टुम्बर 2009 को राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना के नाम को संशोधित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को उनके निवास स्थल पर ही रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त योजना के निम्न उद्देश्य है।

1. ग्रामीण भारत के सर्वाधिक कमजोर लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर उनकी सामाजिक सुरक्षा करना।
2. स्थायी परिसम्पति, बेहतर जल सुरक्षा, भूमि सरंक्षण और उच्च भूमि उत्पादकता के निर्माण के द्वारा गरीब लोगों की जीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना।
3. ग्रामीण भारत में सुखा–बचाव और बाढ़ प्रबन्धन को मजबुत करना।
4. महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकारों को कानून द्वारा सशक्त करना।
5. गरीबी दूर करने और आजीविका संबंधी विभिन्न पहलुओं को बढ़ावा देने के जरिए विकेन्द्रीकरण और भागीदारी की विभिन्न योजनाओं को मजबुत बनाना।
6. जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को मजबुती प्रदान करके लोकतंत्र को सशक्त बनाना।
7. शासन मे अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाना।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अपनी सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और लोकतांत्रिक शासन के माध्यम से ग्रामीण भारत में समग्र प्रगति का एक शक्तिशाली औजार बन गया है। इस योजना का क्रियान्वयन सभी ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को मातृत्व लाभ, कार्यस्थल पर शिशुगृह, पेयजल और छप्पर उपलब्ध कराया जाता है।

तालिका संख्या – 1

डूंगरपुर जिले में मनरेगा के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों की स्थिति

वर्ष 2019–20

| क्र.सं. | ब्लॉक | कुल पंजीकृत श्रमिक | पुरूष | महिला |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आसपुर | 101728 | 48934 | 52794 |
| 2. | बिछीवाड़ा | 121397 | 59388 | 62009 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | चिखली | 96736 | 48720 | 48016 |
| 4. | दोवड़ा | 114449 | 54361 | 60088 |
| 5. | डूंगरपुर | 121283 | 58335 | 62951 |
| 6. | गलियाकोट | 98518 | 48469 | 50049 |
| 7. | झोथरी | 103286 | 49593 | 53693 |
| 8. | साबला | 107543 | 52231 | 55313 |
| 9. | सागवाड़ा | 205275 | 97706 | 107569 |
| 10. | सीमलवाड़ा | 123886 | 61303 | 62583 |
| | **योग** | 1194101 | 579040 | 615061 |

स्त्रोत : www.mnregaweb2.nic.in dungarpur distric

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि वर्ष 2019–20 में डूंगरपुर जिले में कुल पंजीकृत नरेगा जॉब कार्डधारी 1194101 है जिसमें से 579040 पुरूष तथा 615065 महिला श्रमिक पंजीकृत है। जिले में पुरूषों की तुलना में महिला श्रमिकों का पंजीयन अधिक है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मनरेगा के अन्तर्गत महिलाओं को प्राप्त रोजगार का प्रतिशत 33 प्रतिशत आरक्षण से अधिक है अर्थात 50 प्रतिशत से भी अधिक है जिसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है।

डेढ़ दशक तक देश भर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन एवं रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में सिरमौर रहा प्रदेश के जनजाति जिले डूंगरपुर को महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन में विशेष योगदान के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में 2 फरवरी 2016 को महात्मा गांधी नरेगा दिवस के अवसर पर आयोजित सम्मेलन में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

समस्याएं –

- कार्यस्थल पर समुचित सुविधा का अभाव होना।
- महिला श्रमिकों के अशिक्षित होने से मजदूरी भूगतान में मेटों के द्वारा गडबड़ी की जाती है।

- महिला श्रमिकों की फर्जी मस्टररोल बनाया जाता है जिससे महिलाएं योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाती है।
- महिला श्रमिकों को मातृत्व, भत्ता, बेरोजगारी भत्ते का ज्ञान नहीं होता है।
- महिला श्रमिकों को शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जानकारी नहीं होती है।
- कई बार भुगतान में भी गड़बड़ी की शिकायतें होती है।

**समाधान –**

- कार्यस्थल पर समुचित सुविधा जैसे पेयजल, छप्पर, प्राथमिक चिकित्सा मुहैया करायी जानी चाहिएं।
- महिला श्रमिकों को शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे मेटों द्वारा की गई जालसाजी को जान सके।
- समय–समय पर उच्च अधिकारी से सामाजिक अंकेक्षण करानी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार व गबन जैसी विसंगति को रोका जा सके।
- महिला श्रमिकों को मातृत्व भत्ता, बेरोजगारी भत्ता व शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।
- जहां तक संभव को सके महिलाओं को ग्रामीण सीमा के अन्दर ही रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

**सुझाव –**

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में श्रमिकों द्वारा रोजगार के लिए किए गए आवेदन की जांच कर ही जॉब कार्ड का वितरण किया जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा समय पर निधि का भुगतान किया जाना चाहिए जिससे मजदूरों को भूगतान करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
- कार्यस्थल पर समुचित सुविधां उपलब्ध कराना चाहिए।
- मनरेगा के अन्तर्गत किए गए कार्यो की गुणवत्ता बढ़ाए जाने का प्रयास करना चाहिए।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राज्य सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। जिससे ग्रामीण जनजाति महिलाओं में सशक्तिकरण का विकास हुआ है। इस योजना का जनजाति महिलाओं में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। योजना के माध्यम से डूंगरपुर जिले का ग्रामीण विकास हुआ है तथा जिले को सर्वाधिक महिलाओं को रोजगार प्रदान करने में प्रथम स्थान प्राप्त हआ है। अन्त में यही कहा जा सकता है कि मनरेगा महिलाओं की आत्मा एवं जीवन है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची


1. तिवारी, सुभाष (2009) ''नरेगा ग्रामीण भारत में बदलाव लाने का अधिकार'' कुरूक्षेत्र प्रकाशन विभाग भारत सरकार अंक दिसम्बर 2009
2. सेतिया, सुभाष (2014) ''गांवों के कायापलट का क्रांतिकारी कदम–मनरेगा '' कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार अंक फरवरी 2014
3. जोशी, ज्योति/कौर, कवलजीत (2015) ''ग्रामीण श्रमिकों पर मनरेगा के प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन '' समाज विज्ञान शोध पत्रिका अक्टुम्बर 2014
4. मीणा, जगदीशचन्द्र (2003) ''भील जनजाति का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन'' (1885–1947ई) हिमांशु पब्लिकेशन्स उदयपुर (राज.)
5. मिश्रा, राजेन्द्र (2008) ''जनजातीय विकास के नये आयाम'' एपीएच पब्लिशिंग कॉरपोरेशन नई दिल्ली
6. दोसी, शम्भुलाल (1992) ''राजस्थान की अनुसूचित जनजातियां '' हिमांशु पब्लिकेशन्स उदयुपर (राज.)
7. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम – 2005 महात्मा गांधी नरेगा 2018 आठवा संस्करण
8. जैन, पी.सी. (1991) ''ग्रामीण विकास एवं अध्ययन'' सबलाइन प्रकाशन जयपुर
9. www.mgnrega.gov.in